राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनूं

क्रमांक 18/झुं/94-95 198

यह प्रमाणित किया जाता है कि गोयनका बालिका विद्या पीठ जन्थाल नवलगढ़ जिला झुंझुनूं का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक बाईस माह जून सन् एक हजार नौ सौ चौरानवे को झुंझुनूं में दिया गया।

22/6/94

रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार संस्थाएं
झुंझुनूं (राज०)

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण हेतु

आवेदन–पत्र

गौतम बालिका विद्यापीठ संस्थान, नवलगढ समिति /सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान–पत्र

1. संस्था का नाम : गौतम बालिका विद्यापीठ संस्थान, नवलगढ समिति /सोसाइटी/संस्थान/ संस्था है व रहेगा ।
2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय नवलगढ (घूमचक्कर) ।
   तथा कार्यक्षेत्र : जिला झुन्झुनू ।
3. संस्था के उदेश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उदेश्य है ।

क.स.	संस्था के उदेश्य
1.	बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक विकास कर महिला शिक्षा प्रसार ।
2.	साक्षरता का प्रचार–प्रसार।
3.	बिना भेद–भाव के शिक्षा प्रदान करना ।
4.	अनुशासन निर्माण करना ।
5.	राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना ।
6.	साहित्य, संगीत व कला को प्रोत्साहन ।
7.	विविध महिला शिक्षा के प्रचार, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास आदि ।
8.	उच्च शिक्षा व तकनिकी शिक्षा प्रदान करना ।
9.	शिक्षण–प्रशिक्षण विद्यालय एवं महाविद्यालय का संचालन करना ।
10.	रोजगार मुखी कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना ।
11.	बालिका शिक्षा के साथ–साथ सहशिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय एवं शिक्षक प्रशिक्षण संचालित करना ।
12.	छात्र–छात्राओं के कौशल बढाने सम्बधी कार्यक्रम उपलब्ध कराना ।
13.	राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना ।
14.	विविध प्रकार की चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, पशुपालन शिक्षा, तकनिकी शिक्षा प्रबंध शिक्षा इत्यादि में डिप्लोमा व डिग्री प्रदान करने हेतु संस्थाऐ खोलना व संचालित करना ।
15.	चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, पशुपालन शिक्षा, तकनिकी शिक्षा प्रबंध शिक्षा इत्यादि में शोध एवं प्रसार हेतु विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान, एन.जी.ओ. व अन्य इसी प्रकार के संगठनों की स्थापना एवं संचालित करना ।

उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है ।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीर हेतु

आवेदन–पत्र

गौतम बालिका विद्यापीठ .... समिति/सोसायटी संस्थान/संस्था

संघ विधान–पत्र

1 संस्था का नाम : इस संस्था का नाम गौतम बालिका विद्यापीठ समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय नवलगढ़ (घूमचक्कर) है तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला झुंझुनूं सम्पूर्ण जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3 संस्था उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1 बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक विकास कर महिला शिक्षा प्रसार

2 साक्षरता का प्रचार - प्रसार

3 बिना भेद-भाव के शिक्षा प्रदान करना

4 अनुशासन निर्माण करना

5 राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना

6 साहित्य, संगीत व कला को प्रत्साहन

7 [illegible] महिला शिक्षा प्रसार, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास आदि। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4 संस्था का कार्यभार : संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	वीरबलसिंह आबूसरिया S/o श्री नथूसिंह आबूसरिया	अध्यापन	घूमचक्कर स्टेशन रोड, नवलगढ़	अध्यक्ष
2	डा० केशरदेव यादव S/o श्री गंगाराम यादव	प्रवक्ता	पोदार कालेज नवलगढ़	उपाध्यक्ष
3	जितेन्द्र सिंह झाझड़िया S/o श्री ताराचन्द झाझड़िया	प्रवक्ता	पोदार कालेज नवलगढ़	मंत्री
4	धर्मवीर S/o श्री नथूराम	अध्यापक	घूमचक्कर, नवलगढ़	कोषाध्यक्ष
5	मूलचन्द पूनिया S/o श्री [illegible]चन्द पूनिया	व्यापारी	महालक्ष्मी ग्लोब स्टोर नवलगढ़	सदस्य
6	रणजीत भा[illegible] S/o श्री रामलाल भार[illegible]	[illegible]	रामलाल एण्ड सन्स नवलगढ़	सदस्य
7	जगवीर सिंह S/o श्री भगवान सिंह	-	ग्राम पो. [illegible] झुंझुनूं	सदस्य

इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	वीरबल सिंह आबूसरिया स्व. श्री नत्थूसिंह आबूसरिया	अध्यापक	धूम चक्कर स्टेशन रोड, नवलगढ़	[illegible]
2	केशरदेव यादव श्री गंगाराम यादव	प्रवक्ता	पोद्दार कॉलेज, नवलगढ़	केशरदेव यादव
3	जितेन्द्र सिंह [illegible] श्री [illegible]	प्रवक्ता	पोद्दार कॉलेज, नवलगढ़	[illegible]
4	धर्मवीर श्री [illegible]	अध्यापक	धूम चक्कर, नवलगढ़	धर्मवीर
5	मूलचन्द झुनिया स्व. श्री [illegible] झुनिया	व्यवसायी	महालक्ष्मी ग्लोब स्टोर, नवलगढ़	[illegible]
6	रणजीत भास्कर श्री [illegible] भास्कर	व्यवसायी	रामलाल एण्ड सन्स, नवलगढ़	[illegible]
7	[illegible]वीर सिंह श्री [illegible] सिंह	-	ग्रा. पो. [illegible]	[illegible]
8	मदन मोहन एचरा श्री [illegible] एचरा	व्यवसायी	हार्डवेयर [illegible], नवलगढ़	मदनमोहन
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

[illegible]/94-95 —

24/6/94

रजिस्ट्रार संस्थाएं
[illegible] (राज०)

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

आदर्श बालिका विद्या पीठ ……………… समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1 संस्था का नाम : इस संस्था का नाम … आदर्श बालिका विद्या पीठ … समिति/सोसायटी संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय … नवलगढ़ (झुन्झुनूं) ……… है तथा इसका कार्यक्षेत्र … जिला झुन्झुनूं ……… क्षेत्र तक सीमित होगा।

3 संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1 बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक विकास कर महिला शिक्षा प्रसार
2 साक्षरता का प्रचार-प्रसार
3 बिना भेद भाव के शिक्षा प्रदान करना
4 अनुशासन निर्माण करना
5 राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना
6 साहित्य, संगीत व कला को प्रोत्साहन
7 विविध - महिलाशिक्षा का प्रसार, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास आदि।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4 सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।
1-संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों।
2-बालिग हों।
3-पागल, दीवालिया न हों।
4-संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5-संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5 सदस्यों का वर्गीकरण: संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-
1-संरक्षक
2-विशिष्ठ
3-सम्माननीय
4-साधारण
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6 सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1- संरक्षक	राशि ….501/-……	वार्षिक / आजन्म
2- विशिष्ठ	राशि ….251/-……	वार्षिक / आजन्म
3- सम्माननीय	राशि ….151/-……	वार्षिक
4- साधारण	राशि ….101/-……	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. ……………… की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

[signatures]

7 सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–

1-मृत्यु होने पर 2 त्याग पत्र देने पर
3-सस्था के उद्देश्यों के वितरित कार्य करने पर
4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8 साधारण सभा : संस्था के उपनियम सख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9 साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे।

1 प्रबंधकारिणी का चुनाव करना। 2 वार्षिक बजट पारित करना।
3 प्रबंधकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4 संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (सभी रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा)

10 साधारण सभा की बैठकें : 1 साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2 साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3 बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक सूचना 3दिन पूर्व दी जावेगी।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।

5 संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11 कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

1 अध्यक्ष–एक 2 उपाध्यक्ष–एक 3 मंत्री–एक 4 कोषाध्यक्ष–एक
5 सदस्य–तीन

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवतन किये जावें, तो यहां अकित करें कम रखना चाहे तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ....चार.... पदाधिकारी व ....तीन.... सदस्य कुल ....सात.... सदस्य होंगे।

12 कार्यकारिणी का निर्वाचन : 1 संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2 चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3 चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13 कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे।

1 सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2 वार्षिक बजट तैयार करना।

रण करना सेवा मुक्त करना ।

5 साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना ।

6 कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।

7 अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना ।

14 कार्यकारिणी की बैठके :

1 कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

2 बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा ।

3 बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिपालन से कम समय में भी दी जा सकती है ।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी । विचारणीय विषय वहीं होंगे, जो पूर्व एजेन्डा में थे । ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । इस सभाकी कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा ।

15 प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :

(अ) अध्यक्ष

1 बैठकों की अध्यक्षता करना ।

2 मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।

3 बैठके आहूत करना ।

4 संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।

5 सविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

(ब) उपाध्यक्ष :

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।

2 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

(ग) मंत्री :

1 बैठकें आहूत करना । 2 कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना ।

3 आय-व्यय पर नियन्त्रण करना ।

4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।

5 संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।

6 पत्र व्यवहार करना । 7 सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैज्ञानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

(घ) उप मंत्री :

1 मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना ।

2 अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी / मंत्री द्वारा सौपे जावें ।

(च) कोषाध्यक्ष :

1 वार्षिक लेखा - जोखा तैयार करना ।

2 दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना ।

3 चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

1 चन्दा 2 शुल्क 3 अनुदान 4 सहायता 5 राजकीय अनुदान

(क) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी।

(ख) अध्यक्ष / मंत्री / कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17 कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :—

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकें :

1 अध्यक्ष .....1000/-........ रु.

2 मंत्री .....1000/-........ रु.

3 कोषाध्यक्ष .....500/-........ रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18 संस्था का अंकेक्षण :

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया जावेगा।

19 संस्था का विधान में परिवर्तन :

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 का धारा 12 के अनुरूप होगा।

20 संस्था का विघटन :

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ - तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21 संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :

रजिस्ट्रार संस्थायें झुन्झुनू को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

22 वित्तीय वर्ष : संस्था का वित्तीय वर्ष अप्रेल से मार्च होगा। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) ...... ~~समिति सोसायटी~~ संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

18/[illegible] 94-95

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible] 22/6/94
5. [illegible]
6. [illegible] (झुन्झुनू)

[illegible] 22/6/94

रजिस्ट्रार संस्थाऐं
झुन्झुनू (राज.)

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

सन्तोष फोटो स्टेट कापियर्स, नगर पालिका के सामने, झुन्झुनू, फोन-2826

22-6-94
6-7-94